

तिमाही विवरणी

[मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(3) देखें]

(भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)

1.	कंपनी का नाम	
2.	पता	
3.	जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख	
4.	जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.	
5.	उगाही गई कुल राशि	
6.	तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज	
7.	निर्गम के खर्चों और कमीशन आदि	
8.	प्रत्यावर्तित राशि	
9.	विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे	
	(i)	बैंक जमा राशियां
	(ii)	खजाना बिल
	(iii)	अन्य (कृपया उल्लेख करें)
10.	अब तक बकाया जीडीआर की संख्या	
11.	तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत	
12.	तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर की कीमत	
प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को स्टॉक बाजार अथवा भूमि भवन में निवेश नहीं किया गया है।		
ह./- सनदी लेखाकार		ह./- कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी